NNI
हर खबर पर पक्की नजर
पत्रकारिता हमारा धर्म
निष्पक्षता हमारी पहचान
दैनिक हिन्दी समाचार पत्र
न्यूज नेक्स्ट इण्डिया
आगरा
www.nnindianews.com
रविवार, 02 अगस्त, 2026

बटेश्वर में श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़

बिना लाइफ जैकेट और सुरक्षा उपकरणों के चल रहीं नावें

एनएनआई

पिनाहट। श्रावण मास में बटेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यमुना नदी में संचालित नावों में श्रद्धालुओं को बिना लाइफ जैकेट, लाइफ ट्यूब और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के सैर कराई जा रही है। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

श्रद्धालुओं का कहना है कि घाट पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बटेश्वर धाम पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मानवाधिकार सहायता संघ, आगरा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि बटेश्वर यमुना घाट पर तत्काल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि नाव संचालन के दौरान प्रत्येक यात्री को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाए तथा घाट पर पर्याप्त बचाव उपकरण और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

सीएचसी के बाहर गूंजी बच्चों की किलकारी

दो महिलाओं ने तीन बच्चों को दिया जन्म, चिकित्सकों ने कहा, नवजात बच्चे और महिलाएं स्वस्थ हैं

एनएनआई

फतेहाबाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद के बाहर बच्चो की किलकारी गूंजने लगी। दो महिलाओं ने तीन बच्चों को जन्म दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा पत्नी रवि कुमार निवासी गढ़ी गणेश के प्रसव पीड़ा होने पर परिजन एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर पहुंचे ही थे कि सीमा ने सीएचसी के बाहर 8-50 बजे के करीब एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया।

वही कांता देवी पत्नी राजेश निवासी भोगपुरा के प्रसव पीड़ा होने पर परिजन टेंपो से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद लेकर पहुंचे थे कि तभी कांता देवी सीएचसी के बाहर सुबह 10-51 बजे दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जानकारी पर सीएचसी फतेहाबाद का स्टाफ मौके पर पहुंचा और जच्चा बच्चा दोनों माताओं व तीनों नवजातों को सीएचसी में भर्ती कराया गया । वही चिकित्सकों का कहना है तीनों नवजात व दोनों माताएं स्वस्थ है।

महिला के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में-

दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास, और 28-28 हजार रुपये का जुर्माना

एनएनआई

आगरा। महिला का अपहरण कर उसे बेचने और बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला जज माननीय नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने राजस्थान के धौलपुर जिले के गांव इकबालपुर निवासी बेताल और थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी निवासी बच्चू सिंह गुर्जर को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना जगनेर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि जब वह प्रयागराज में रह रही थी, तब उसके पड़ोस में रहने वाली रानी (निवासी अंगौता, थाना मुरसान, हाथरस) से उसकी जान-पहचान हुई थी। रानी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ आगरा के रामबाग ले आई। इसके बाद रानी, एत्माद्दौला के रामबाग सीतानगर निवासी नेहा और पायल के साथ मिलकर पीड़िता को थाना जगनेर क्षेत्र के गांव नगला ताड़ी में बच्चू सिंह गुर्जर के घर ले गईं। आरोप है कि तीनों महिलाएं बच्चू सिंह से 40 हजार रुपये लेकर पीड़िता को वहां छोड़कर चली गईं। रात के समय आरोपी बच्चू सिंह ने पीड़िता को बताया कि उसने उसे 40 हजार रुपये में खरीदा है और उसे किसी से फोन पर बात भी नहीं करने दी। आरोप है कि बच्चू सिंह और उसके भांजे बेताल ने पीड़िता को सात दिनों तक घर में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। सात दिन बाद मौका पाकर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से मुक्त हुई और उसने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी।

इस मामले के चार अन्य आरोपी- रानी, नेहा, पायल और राहुल जमानत मिलने के बाद से अदालत में उपस्थित नहीं हुए और फरार हो गए। इस पर अदालत ने 20 सितंबर 2025 को इन चारों फरार आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी थी, ताकि मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित न हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नाहर सिंह तोमर ने अदालत में सशक्त पैरवी की। अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिए पीड़िता सहित कुल छह गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बेताल और बच्चू सिंह गुर्जर को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

HUM TUM TELECOM
Finance Facility Available @ 0%*
Discount UP to 50%*
M:- 9808103508, 9090725656, 9084422835

Add 1:- Shop 1, Asharli Complex, New New Prince Dhaba, Rohat-Itora, Gwalior Road, Agra 282001
Add 2: G-1, Anand Vrindavan, Near Police CHwki, Sanjay Place, Agra- 282 002